45

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2770–एक/2015 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 17–7–2015 – पारित व्दारा – तहसीलदार जबलपुर -- प्रकरण कमांक 80 बी–121/2014–15

डा0शिव प्रसाद यादव पुत्र रामस्वरूप यादव
निवासी वाटर वर्क्स रोड 2285/2 भौंगाव्दार
जबलपुर मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरूद्व

कु0अनामिका गुप्ता पुत्री पन्नालाल गुप्ता
बेलबाग तिराहा जबलपुर मध्य प्रदेश

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनुरोग तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अतुल ताम्रकार)

आ दे श

(आज दिनांक 3–10–2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 80 बी–121/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार जबलपुर केंट के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक के विरूद्व दावा प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार केंट जबलपुर ने प्रकरण कमांक 80/बी–121/2014–15 पंजीबद्व कर आवेदक को सुनवाई हेतु

आहुत किया। आवेदक ने उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रदान कर प्रकरण की प्रचलनशील पर आपत्ति दर्ज कराई। तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17—7—15 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व य5ह निगरानी प्रस्तुत ही गई है।

3/ निगरानी में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने लेखी तर्क प्रस्तुत किये हैं। लेखी तर्कों के साथ तहसीलदार केंट जबलपुर के प्रकरण कमांक 80/बी—121/2014—15 का अवलोकन किया गया।

4/ लेखी बहस एंव तहसीलदार केंट जबलपुर, के प्रकरण कमांक 80/बी—121/2014—15 अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 6—4—15 प्रस्तुत कर बताया है कि ग्राम सीतापुर स्थित खसरा कमांक 196 रकबा 1600 वर्गफुट भूमि उसके व्दारा हेमकुमार महावर पुत्र स्व.बेनीप्रसाद से कय की है , जब तहसीलदार के आदेश दिनॉक 8—1—13 के पालन में जब दिनांक 25—1—13 को इस भूखंड का सीमांकन कराया गया , सीमांकन के दौरान आवेदक अन्य लोगों के साथ आ गया और कहने लगा कि मैंने इस भूखंड पर कब्जा कर लिया है भाग जाओ नही तो जान से मार डालूँगा। सीमांकन उपरांत तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 7—2—14 से निर्णय देकर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है । निगरानी मेमो में मुख्य आधार यह लिया गया है कि धारा 250 का आवेदन कब्जे के 2 वर्ष के भीतर देना चाहिये जो 2 वर्ष वाद दिया गया है इसलिये संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दावा ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन—योग्य नहीं है। प्रकरण में देखना है कि क्या अनावेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष धारा 250 का दावा 2 वर्ष की अवधि वाद दिया गया है। तहसीलदार के प्रकरण मे आये

तथ्यों से ज्ञात होता है कि सीमांकन उपरांत तहसीलदार ने सीमांकन आदेश 7–2–14 को पारित कर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है तथा अनावेदक व्दारा धारा 250 का दावा तहसीलदार के समक्ष 6–4–15 को प्रस्तुत किया है जो दो वर्ष की अवधि के भीतर है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–15 से आवेदक के आपत्ति आवेदन पर लिया गया निर्णय उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 80 बी–121/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–15 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर